

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//आदेश //

भोपाल, दिनांक 12-05-2026

क्रमांक यूडीएच/8/0001/2026/18-5:: मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा सिंगरौली विकास प्राधिकरण, सिंगरौली में श्री वीरेन्द्र गोयल को अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Chandrakant Sadhav
Date: 12-05-2026
11:04:13

(सी.के.साधव)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 12-05-2026

पृ0 क्रमांक यूडीएच/8/0001/2026/18-5
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला- सिंगरौली, म.प्र.।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिंगरौली विकास प्राधिकरण सिंगरौली, म.प्र.।
7. संबंधित श्री वीरेन्द्र गोयल
8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग